प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 03428/2022-2023 दिनांक 22/02/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/FAI/18764/2022-2023 पत्रावली संख्या:F-46459 दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **हेल्प सेफ्टी एण्ड केयर फाउण्डेशन, जयसी स्टूडियो, ग्राउण्ड फ्लोर, शाहपुरा काम्प्लेक्स, आई0टी0आई0 के सामने, बेनीगंज, जिला—अयोध्या, उ0प्र0।, अयोध्या, 224001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1842/2017-2018 दिनांक-12/12/2017 को दिनांक-12/12/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66
Date: 22/02/2023 3:01:08 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-22/02/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

12. **संस्था के नियमों/विनियमो में संशोधन प्रक्रिया :–**

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

13. **संस्था का कोष :–**

संस्था को कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन **प्रबन्धक** एवं **कोषाध्यक्ष** के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

14. **संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :–**

संस्था के आय व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षण आवश्यकतानुसार किसी सुयोग्य आडीटर से कराया जायेगा।

15. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–**

संस्था द्वारा पक्ष एवं विपक्ष के मुकद्मों की पैरवी **प्रबन्धक** या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

16. **संस्था के अभिलेख :–**

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

17. **संस्था का विघटन :–**

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :.....18/11/17

उप निबन्धक
कर्म समिति तथा चिट्स
इलाहाबाद (उ० प्र०)

हस्ताक्षर

Kartik Kumar

प्रतिलिपि कर्ता.....

मिलान कर्ता.....

अवधेश चन्द्र दुबे

Aman Pandey

Anjali Pandey

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
AACAH3697K
नाम/ Name
HELP SAFETY & CARE FOUNDATION
02102018
निगमन/गठन तारीख
Date of Incorporation / Formation
12/12/2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 088849

कार्यालय निबन्धक समितियां सत्यमेव जयते फैजाबाद उ०प्र०

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म सहकारिता तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

16/3/17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 088850

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियां तथा चिट्स
इलाहाबाद (उ० प्र०)

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : हेल्प, सेफ्टी एण्ड केयर फाउण्डेशन
2. संस्था का पता : जयसी स्टूडियो, ग्राउण्ड फ्लोर, शाहपुरा काम्लेक्स, आई0टी0आई0 के सामने, बेनीगंज, जिला–फैजाबाद, 224001
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य

1. धर्म निरपेक्षता एवं समानता के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करना इस हेतु स्कूल, कालेज,डिग्री कालेज एवं निःशुल्क शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन करना।
2. जनहित में लोगों का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, एवं अध्यात्मिक विकास हेतु सतत् प्रयास करना।
3. ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
4. महिलाओं,बालिकाओं गरीब एवं असहाय लोगों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग, शिल्प कला, काष्ठ कला, दरी, कालीन, टंकण एवं आशुलिपिक, कम्प्यूटर शिल्प कला, संगीत, नृत्य, चिकन, ज़री, हाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, आदि का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वालम्बन की भावना जागृत करना तथा ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने हेतु केन्द्रों की स्थापना करना।
5. गरीब एवं निराश्रित बच्चों/बच्चियों के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास आदि की व्यवस्था करना।
6. पर्यावरण सुधार हेतु पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रमों एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना।
7. शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा समय–समय पर प्रतियोगितायें आयोजित कर विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास करना।
8. कृषि, यान्त्रिकी, पर्यावरण तथा विज्ञान तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था मान्यता प्राप्त करके करना।
9. दैवी आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्नि काण्ड एवं भयंकर बीमारियों के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।
10. समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित समस्त महिला एवं बाल कल्याण कारी कार्यक्रमों का संचालन करना।
11. ग्रामीण अंचलों में सफाई की व्यवस्था एवं विकास,सुलभ शौचालय नाली एवं पेयजल से सम्बन्धित हैण्ड पम्प की निःशुल्क व्यवस्था करना।
12. विधवा एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर ग्रामोउद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सुलभ करना।
13. महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग,के अनाथ बच्चों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना।
14. सशक्त देश के निर्माण के लिए अधिक से अधिक यूवाओं को नशा खोरी, दहेज, छूआ–छूत बाल शोषण एवं सम्प्रदायिकता तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के विरूध प्रभावी कार्यक्रम का संचालन करना।
15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना।

16. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त प्रकार के विकास कार्यक्रमों में सहभागिता का निर्वाहन कर उन्हें सफल बनाना।
17. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी क्षेत्र में शोध करने हेतु केन्द्रों की स्थापना करना।
18. देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर उच्च शिक्षा हेतु, महाविद्यालयों तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
19. समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को समुचित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कराने हेतु सतत् प्रयास करना।
20. साक्षरता अभियान, पशु पालन, मत्स्य पालन तथा वृक्षा रोपण सम्बन्धी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जनमानस को जानकारी प्रदान करना।
21. क्षेत्र के गरीब वर्ग के लोगों विशेष कर महिलाओं, अनुसूचित जाति जन जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, विकलांग व दैवी आपदा पीड़ित वर्ग के उन्नयन हेतु विकास कार्यक्रमों को संचालित करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना।
22. उपभोक्ताओं को उनके हितों के सम्बन्ध में जागरूक करना तथा उपभोक्ता सरंक्षण हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना।
23. समाज में व्याप्त बुराई जैसे महिलाओं के प्रति क्रूरता, यौन शोषण काम के प्रति न्यूनतम मजदूरी, एड्स जैसी घातक बीमारी की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूकता उत्पन्न करके तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उन्हें सम्मान जनक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने की चेष्टा करना।
24. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेल-कूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता जागरूकता शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं पल्स पोलियो शिविर आदि का आयोजन व संचालन करना।
25. किसी भी स्वेच्छिक एवं जनसेवा कार्यक्रम करने वाली संस्था के सहसंयोजन में अथवा स्वतन्त्र शिविरों का आयोजन करना।
26. राष्ट्रीय संकट, भूकम्प, बाढ़, सूखा, भू स्खलन, मार्ग दुर्घटना आदि आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों की यथा सम्भव सहायता करना।
27. नई शिक्षा नीति के तहत बालक एवं बालिकाओं के लिए औद्योगिक एवं कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना।
28. पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं लोगो में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
29. जनहितार्थ निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
30. वित्तीय संस्था राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण प्राप्त कर संस्था के उद्देश्यों के क्रायन्वयन में व्यय करना।
31. आर्ट एवं कल्चर्स के प्रोत्साहन हेतु कार्य करना तथा अच्छा आर्टिस्ट बनने हेतु आर्ट के विद्यार्थियों को यथा सम्भव प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना।
32. नावार्ड एवं सिडवी द्वारा सहायता प्राप्त कर ग्रामीणों के कल्याणार्थ कार्य करना।
33. नशीले पदार्थों से विरक्ति हेतु जनजागरण अभियान चलाना एवं इस हेतु नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना तथा समाज के उत्थान एवं उनके मार्ग दर्शन हेतु डाक्युमेन्ट्री फिल्म बनाना, नाटक, देश भक्ती गीतों की रिकार्डिंग आदि करना।
34. खाद प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना करना।

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम पते, एवं पद जिनको सोसाइटी नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्र0	नाम पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री वेद व्यास पाण्डेय पुत्र श्री शिव करन पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट–बलभरिया राम गुलाम जिला–बस्ती।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री अवधेश प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री राम चरित गुप्ता	राम हाल्ट, राम प्रस्थ होटल के पीछे, अयोध्या फैजाबाद।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री कार्तिक कुमार पुत्र श्री दीनानाथ	डब्लू–1324, अवधपुरी कालोनी फेज–3, बेनीगंज, फैजाबाद।	प्रबन्धक	व्यवसाय
4.	श्री अमनदीप मौर्या पुत्र श्री महेश चन्द्र मौर्या	4/16/552 ए, जलकल विभाग के सामने अमानीगंज, फैजाबाद।	सचिव	समाजसेवा
5.	कु0 पूजा पाण्डेय पुत्री श्री गणपति पाण्डेय	ग्राम–पढ़नी शम्भूपुर, पोस्ट–भैंसा चौबे, जिला–बस्ती।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री लालचन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद	म0नं0–10/536 बरहरा आँ, अयोध्या, जिला–फैजाबाद।	सदस्य	समाजसेवा
7.	अंजली पाण्डेय पुत्री श्री शिव करन पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट–बलभरिया राम गुलाम जिला–बस्ती।	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण ने उपरोक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्न नियमावली के नियमानुसार एक संस्था का गठन किया है जिसे हम सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :.....18/11/17

हस्ताक्षर

Kartik Kumar.

अवधेश प्रसाद गु.

लालचंद्र

Anjali Pandey

नियमावली

1. संस्था का नाम : हेल्प, सेफ्टी एण्ड केयर फाउण्ड्रेशन
2. संस्था का पता : जयसी स्टूडियो, ग्राउण्ड फ्लोर, शाहपुरा काम्लेक्स, आई0टी0आई0 के सामने, बेनीगंज, जिला–फैजाबाद, 224001
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :अक्षरशः स्मृति–पत्र के अनुरूप।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :–

कोई भी वयस्कता प्राप्त भारतीय व्यक्ति जो संस्था के स्मृति–पत्र में वर्णित उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान हो संस्थापक सदस्यों की पूर्व अनुमति पर निर्धारित सदस्यता शुल्क का संदाय कर संस्था की साधारण सभा का सामान्य सदस्य बन सकता है। संस्था में सदस्यों का वर्गीकरण निम्नवत है :–

Kashik Kumar

आजीवन सदस्य :–

वह व्यक्ति जो संस्था को निःस्वार्थ भाव से **10,000/– रु0** नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

संस्थापक सदस्य :–

इस नियमावली के साथ संलग्न स्मृति–पत्र की धारा 5 में उल्लिखित प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी व सदस्यगण संस्था के संस्थापक सदस्य हैं एवं संस्था की सदस्यता के सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम है।

सत्य प्रतिलिपि

विशिष्ट सदस्य :–

अवधेश प्रसाद गुप्ता

उप निबन्धक फर्म समितियां तथा चिट्टी फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रबुद्ध शिक्षाविद समाज के सम्मानित व्यक्ति को संस्थापक सदस्यों के अनुमोदन पर संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत किया जा सकता है जिनकी संख्या एक समय में पांच से अधिक न होगी एवं इन सदस्यों की सदस्यता अवधि पांच वर्ष होगी तथा इन सदस्यों को मताधिकार प्राप्त होगा।

सामान्य सदस्य :–

अर्हता प्राप्त कोई भी व्यक्ति संस्थापक सदस्यों की पूर्व अनुमति पर **10/– रु0** मासिक सदस्यता शुल्क जमा करके संस्था का सामान्य सदस्य बन सकता है।

6. **सदस्यता की समाप्ति :–**
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक सिद्ध होने पर।
   4. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
   5. त्याग–पत्र दिये जाने पर।
   6. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
   7. तीन माह तक का सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
   8. लगातार तीन बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर।
   9. भारत की नागरिकता त्याग देने पर।

Pramod Roop Pandey Manager Anjali Pandey

7. **संस्था के अंग :–**
   1. साधारण सभा
   2. प्रबन्धकारिणी समिति

8. **साधारण सभा गठन, बैठक, कोरम, सूचना तथा कार्य :–**

गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

बैठक :– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकतानुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :– साधारण सभा की सामान्य सभा की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व लिखित रूप से सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति :– साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त होगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पारित करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन :–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा।

9. **प्रबन्धकारिणी समिति :–**

गठन :– संस्था की साधारण सभा द्वारा निर्वाचन के आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें **अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1, प्रबन्धक–1, सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1,** तथा **सदस्य–02**, होगें। इस प्रकार प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कुल संख्या–**07** होगी।

बैठक :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार व विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकतानुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य सभा की बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना एक दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु पर्याप्त होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति :–

किसी भी प्रकार की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :–

1. संस्था के विकास के लिए कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, विदेशी संस्थाओं एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, चन्दा, अनुदान व दान प्राप्त करना तथा भूमि–भवन दान स्वरूप प्राप्त करना एवं भवन आदि का निमार्ण करना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल **5** वर्ष का होगा।

10. **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–**

अध्यक्ष :–

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांक एवं समय का अनुमोदन करना।
4. बैठकों को स्थगित करना।
5. संस्था की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष के कार्यो में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक :–

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप मे करना।
2. संस्था के समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्था के आय–व्यय का निरीक्षण करना।
4. लेखों एवं अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
5. संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना।
6. सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान प्राप्त करना।
7. अदालती कार्यवाही की पैरवी करना।
8. कर्मचारियों एवं अध्यापकों, के विशेष अवकाशों की स्वीकृति, नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि करना।
9. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृत करना।
11. संस्था के विकास हेतु अन्य आवश्यक कार्य करना।
12. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावों, निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
13. संस्था के अभिलेख एवं प्रपत्र संस्था के कार्यालय में अपनी या अपने द्वारा सुनिश्चित किये गये व्यक्ति की अभिरक्षा में सुरक्षित रखना।
14. बजट के आधार पर संस्था की सम्पत्ति का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण करना।
15. संस्था के आय–व्यय का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष करना तथा उसकी रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
16. वे सभी अधिकार एवं कर्तव्य **प्रबन्धक** के माने जायेगे जिनका उल्लेख किसी अन्य पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य के शीर्षक मे नहीं किया गया है।
17. संस्था के सदस्यों का नाम सदस्यता रजिस्टर में नोट करना।

सचिव :–

1. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
3. कार्यवाही लिपिबद्ध करना एवं सुनाना।
4. अन्य कार्य संस्था के हित में करना।
5. **प्रबन्धक** द्वारा सौपें गये दायित्वों का निर्वाहन करना एवं **प्रबन्धक** के कार्यों में अपेक्षित सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष :–

1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2. दान व चन्दा आदि प्राप्ति कर उसकी रसीद देना।
3. **प्रबन्धक** द्वारा हस्ताक्षरित समस्त बिल का भुगतान करना।

11. **संस्था का वित्तीय वर्ष :–**

संस्था का प्रत्येक वित्तीय वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा।